फाइल नं0-71-1002(002)/54/2021

121/2023/I/378843/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 अगस्त, 2023

विषयः-**वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ परिसर के चारों ओर चहारदीवारी बनवाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/386, दिनांक 18.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ परिसर के चारों ओर चहारदीवारी बनवाने हेतु द्वितीय किश्त(अंतिम किश्त) रू0 303.21 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ परिसर के चारों ओर चहारदीवारी बनवाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित कुल लागत रू0 606.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 303.21 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-96/2022/I/207958/2022-71-1002(002)/54/2021, दिनांक 01.09.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनॉक 18.08.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ परिसर के चारों ओर चहारदीवारी बनवाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-41- मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु 24- वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख के सापेक्ष रू0 303.21 लाख (रू0 तीन करोड़ तीन लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्य मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक एवं डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति को (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से महानिदेशक एवं प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना एंव कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. शासनादेश संख्या-96/2022/1/207958/2022-71-1002(002)/54/2021, दिनांक 01.09.2022 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,03,21,000 (रुपये तीन करोड़ तीन लाख इक्कीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक- में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054100 मेडिकल कालेज मेरठ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त अनुभ (व्ययक-आय)ाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।